<u>अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न</u>

दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरणों की खरीद/ फिटिंग के लिए एडिप योजना क्या है और यह दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में कैसे मदद कर रहा है?

एडिप योजना के तहत, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं, ताकि उनकी स्वतंत्र कार्यक्षमता में सुधार हो सके और दिव्यांगता की सीमा को रोका जा सके तथा द्वितीयक दिव्यांगता के होने की संभावना को कम किया जा सके। इस योजना में यह भी प्रावधान है कि सहायक उपकरण प्रदान करने से पहले, जब आवश्यक हो, तो सुधारात्मक सर्जरी भी की जाए। 26.09.2024 को संशोधित एडिप योजना को डाउनलोड सेक्शन से (https://adip.depwd.gov.in/downloadPage) डाउनलोड किया जा सकता है।

एडिप योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन योग्य है?

वह व्यक्ति जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, एडिप योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य होगा।

- किसी भी उम्र का भारतीय नागरिक।
- 40% और उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र (बेंचमार्क दिव्यांगता) धारक हो।
- सभी स्रोतों से मासिक आय रु. 30,000/- प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आश्रितों के मामले में, माता-पिता/ अभिभावकों की आय रु. 30,000/- प्रति महीना।
- सहायता राशि इस प्रकार होगी:-

कुल आय	सहायता राशि
रु. 22,500/- प्रति माह	सहायता/उपकरण की पूरी लागत
रु. 22,501/- से रु. 30,000/- प्रति माह	सहायता/ उपकरण की लागत का 50%

- पिछले 3 वर्षों के दौरान इसी उद्देश्य के लिए किसी स्रोत से सहायता प्राप्त नहीं हुई हो। हालाँकि, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, सहायता का न्यूनतम समय एक वर्ष है।

कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

1. दिव्यांगता प्रमाणपत्र के साथ यूडीआईडी कार्ड की एक प्रति या यूडीआईडी कार्ड की नामांकन संख्या।
2. आधार कार्ड की एक प्रति।
3. पते का प्रमाण (आधार कार्ड/ वोटर आईडी कार्ड/ राशन कार्ड आदि की प्रति)।
4. आय प्रमाण पत्र की एक प्रति (ऐसा न होने पर स्व-प्रमाणन/ नोटरीकृत शपथ पत्र C/o कार्यान्वयन एजेंसियां दिव्यांगजनों को सहायता/ उपकरण उपलब्ध कराने हेतु स्वीकार किया जा सकता है।

5. एक वचनपत्र कि उसे पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई भी स्रोत में से वही सहायता और सहायक उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं।

क्या बौद्धिक दिव्यांगता/ विकासात्मक देरी वाले बच्चे (6 वर्ष की कम उम्र आयु), योजना के तहत लाभ पाने के लिए वाले पात्र हैं?

हाँ। सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी विकासात्मक विलंब प्रमाण पत्र 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए एडिप योजना के तहत टीएलएम किट वितरण के लिए है । हालाँकि, न्यूनतम 40% दिव्यांगता की शर्त में कोई कमी नहीं है।

एडिप योजना के तहत मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल/ मोटराइज्ड व्हीलचेयर पाने के लिए कौन पात्र है ?

1. गंभीर गतिशील दिव्यांगता, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हेमिप्लेजिया और अन्य समान स्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए मोटर चालित ट्राईसाइकल और मोटर चालित व्हीलचेयर, जहाँ तीन/ चार अंग या शरीर का एक आधा हिस्सा गंभीर रूप से प्रभावित हो।

2. दिव्यांगता 80% या उससे अधिक होनी चाहिए।

3. आयु 16 वर्ष या उससे अधिक, 5 वर्ष में एक बार प्रदान की जाती है।

4. सब्सिडी की सीमा रु. 50,000 /- रुपये तक होगी।

5. स्वयं/ अभिभावक की सभी स्रोतों से मासिक आय रुपये 22,500/- से अधिक नहीं होनी चाहिए, 100% सब्सिडी के लिए।

6. स्वयं/ अभिभावक की सभी स्रोतों से मासिक आय रुपये 30,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए, 50% सब्सिडी के लिए।

7. एडिप-एसएसए के तहत 40% दिव्यांगता और 16 वर्ष से अधिक आयु वाले सीडब्ल्यूएसएन।

क्या कोई प्रदान की गई सहायता/ सहायक उपकरणों के प्रतिस्थापन/ मरम्मत के लिए अनुरोध कर सकता है?

हाँ, सहायता प्रदान करने वाली संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी से संपर्क करें। एलिम्को के मामले में, टोल फ्री नंबर 1800-180-5129 या मोबाइल नंबर 9519268833, 9519538833 डायल करें।

सहायता/ सहायक उपकरण के लिए कोई कहां और कैसे आवेदन कर सकता है?

आवेदक एलिम्को, सीआरसी, डीडीआरसी और विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों से संपर्क कर सकते हैं। आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे अर्जुन पोर्टल पर लाभार्थी पंजीकरण टैब पर क्लिक करके आवेदन कर सकता है।

कार्यान्वयन एजेंसियां (कार्यान्वयन एजेंसियों का विवरण डाउनलोड से देखा जा सकता है। (www.adip.disabilityaffairs.gov.in/ADIP/login)

आवेदक नीचे दिए गए आवश्यक दस्तावेजों के साथ अनुरोध पत्र भेज सकते हैं

पता:-

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अधिकारिता विभाग, दिव्यांग व्यक्ति

पं.दीनदयाल अंत्योदय भवन, 5वीं मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली110003

एलिम्को से सहायता/ सहायक उपकरण कहां मिल सकते हैं ?

सहायता/ सहायक उपकरण भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) से प्राप्त किये जा सकते हैं

एलिम्को का प्रधान कार्यालय कानपुर में है और इसके किसी भी सहायक उत्पादन केंद्र या क्षेत्रीय विपणन केंद्र या प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र (पीएमडीके) से सहायता/ सहायक उपकरण प्राप्त किये जा सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए

एलिम्को के केंद्रों के बारे में जानकारी के लिए कृपया निगम की वेबसाइट www.alimco.in पर जाएं और निकटतम केंद्र अनुभाग जानें। (https://alimco.in/ALIMCOcenters)

कोई भी व्यक्ति एलिम्को हेल्पलाइन/ कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है।

टोल फ्री नंबर 1800-180-5129

मोबाइल नंबर 9519268833

मोबाइल नंबर 9519538833

दिव्यांगता प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, विकलांगता प्रमाण पत्र निर्धारित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाएगा।

एडिप - एसएसए के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संयुक्त विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने की जिम्मेदारी" इस प्रकार होगी

- स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल
- सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) या समुदाय के सरकारी डॉक्टर स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)
- स्थानीय एसएसए प्राधिकरण और
- एलिम्को के प्रतिनिधि

कोई लाभार्थी सहायता/सहायता के लिए अर्जुन वेब पोर्टल पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करा सकता है?

1. अर्जुन वेब पोर्टल के होम पेज पर लाभार्थी पंजीकरण बटन पर क्लिक करके।

2. लाभार्थी को कार्यान्वयन की सूची से एक उपयुक्त एजेंसी का चयन करना चाहिए

3. एजेंसियां और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवश्यक विवरण भरें।

4. सफल पंजीकरण पर एक पुष्टिकरण संदेश लाभार्थी को मिलेगा ।

5. अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी संबंधित एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं

मुझे कौन सी एजेंसी चुननी चाहिए?

1. कृपया अपनी दिव्यांगता और स्थान के आधार पर उपयुक्त एजेंसी का चयन करें।

2. आपको मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल के लिए एलिम्को और बोलने और सुनने की दिव्यांगता/ कॉक्लियर इंप्लांट के लिए अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट का चयन करना होगा।

3. किसी मामले में आप कार्यान्वयन एजेंसियों के अनुभाग का संदर्भ ले सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

4. कार्यान्वयन एजेंसियों की सूची को अर्जुन पोर्टल के डाउनलोड अनुभाग (https://adip.depwd.gov.in/ADIP-Implementing-Agency) से प्राप्त किया जा सकता है।

5. इसके अलावा कार्यान्वयन एजेंसियां समय-समय पर सहायता एवं सहायक उपकरणों का वितरण शिविरों का आयोजन करती हैं।

*****